प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला. भ्र0नि0ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर, वर्ष 2023 प्र0इ0रि0 सं0.......274......../2023 'दिनांक........16/10/23........
2. (अ) अधिनियम ... धारायेः– 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा0द0सं0
   (ब) अधिनियम................................धारायें.......................................
   (स) अधिनियम................................धारायें.......................................
   (द) अन्य अधिनियम धारायें...
3 (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.......273.......................समय..................4pm
   (ब) अपराध घटने का 'दिन वर्ष– बुधवार से गुरूवार, दिनांक 05.04.2023 से 06.04.2023 तक
   (स)थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 05.04.2023
4 सूचना की किस्मः– लिखित
5 घटना स्थलः– तिजारा, जिला अलवर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–कार्यालय एसीबी,अलवर प्रथम चौकी से लगभग 50 कि0मी0 उत्तर दिशा मे
   (ब) ....
   बीट संख्या..जरायमदेही संख्या..........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना..................................जिला ....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्रीमती कमला देवी
   (ब) पिता/पति का नाम :– श्री सुभाष चन्द
   (स) जन्म तिथि उम्र लगभग 42 साल
   (द) राष्ट्रीयता..................................भारतीय..
   (य) पासपोर्ट संख्या..जारी होने की तिथि............
   जारी होने की जगह...
   (र) व्यवसाय... आंगनबाडी कार्यकर्ता, हसनपुर माफी प्रथम, तिजारा, जिला अलवर
   (ल) पताः– गॉव हसहनपुर माफी, तहसील तिजारा, जिला अलवर, हाल जिला खैरथल तिजारा
7 ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का पूर्ण विवरण
   1 श्रीमती आरती पुत्री श्री रामकिशोर, उम्र 42 साल, निवासी मकान नं0 2/129, राजस्थान आवासन मण्डल, भिवाडी, हाल महिला पर्यवेक्षक, सैक्टर हसनपुर माफी, समेकित बाल विकास सेवाऐं, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, तिजारा, जिला अलवर, हाल जिला खैरथल–तिजारा।
   2 श्रीमती बीना पुत्री श्री प्रेमचन्द सैनी, जाति माली, उम्र 43 साल, निवासी वार्ड नं0 5, श्रीराम कॉलोनी, तिजारा हाल आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी केन्द्र नम्बर–4, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, तिजारा, जिला अलवर, हाल जिला खैरथल–तिजारा।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने मे विलम्ब का कारण–कोई नहीं
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियॉं (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये):– 44,000 रू0 रिश्वत की मांग करना
10 चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य–
11 पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)......नहीं...
12 विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

वाक्यात इस प्रकार है कि दिनांक 05.04.2023 को समय 08.00 ए0एम0 पर श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर ने मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द को जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि " दिनांक 04.04.2023 को ब्यूरों मुख्यालय से परिवादिया श्रीमती कमला देवी के मोबाईल नं0 8824692795 पर वार्ता कर परिवादिया की शिकायत सुनने के निर्देश प्राप्त हुये, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादिया श्रीमती कमला देवी से मोबाईल वार्ता कर परिवादिया की शिकायत सुनि तो परिवादिया ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि वह हसनपुर माफी, तहसील तिजारा, जिला अलवर की आंगनबाडी कार्यकर्ता है, तथा उन्नती स्वयं सहायता समूह, हसनपुर माफी की सदस्य है। हसनपुर माफी सैक्टर की महिला सुपरवाईजर श्रीमती आरती, उससे, उन्नती स्वयं सहायता समूह के पोषाहार के बिलों का भुगतान करने एवं दो महिनों का वेतन बनाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रही है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती कमला देवी को उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही करवाने हेतु ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादिया ने बताया कि वह अलवर नही आ

सकती है तथा कार्यवाही करने के लिये ए0सी0बी0 का कोई अधिकारी तिजारा आ जायेगा तो मैं उन्हे उक्त बाबत तिजारा में ही लिखित प्रार्थना पत्र देकर आगे की कानूनी कार्यवाही करवा दूंगी। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादिया श्रीमती कमला देवी को दिनांक 05.04.2023 को समय करीब 10.00 ए0एम0 पर कस्बा तिजारा में उपस्थित मिलने तथा उसके पास दिनांक 05.04.2023 को तिजारा में ए0सी0बी0 का अधिकारी पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अवगत करवाया गया। अतः आप तिजारा पहुंचकर परिवादिया श्रीमती कमला देवी से सम्पर्क कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें।" इस पर समय 08.30 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय श्री महेश कुमार कानि0 462, श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 मय विभागीय लैपटॉप, प्रिन्टर, यू0पी0एस0, स्टेशनरी एवं विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर हमराह लेकर मय वाहन सरकारी मय कानि0 चालक इन्द्रजीत नं0 336 के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ब्यूरों कार्यालय अलवर से बजानिब तिजारा के लिये रवाना होकर समय 10.25 ए0एम0 पर कस्बा तिजारा, जिला अलवर पहुंचकर परिवादिया श्रीमती कमला देवी से सम्पर्क किया तो परिवादिया श्रीमती कमला देवी मन पुलिस निरीक्षक को तिजारा स्थित अहिंसा सर्किल के पास उपस्थित मिली।

तत्पश्चात समय 10.30 ए0एम0 पर तिजारा स्थित अहिंसा सर्किल पर मन् पुलिस निरीक्षक के सम्मुख परिवादिया श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री सुभाष चन्द, जाति मेघवाल, उम्र 42 साल, निवासी हसनपुर माफी, तहसील तिजारा, जिला अलवर, हाल आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी केन्द्र हसनपुर माफी– प्रथम, तहसील तिजारा, जिला अलवर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि " सेवामें श्रीमान पुलिस निरीक्षक महोदय, ए0सी0बी0 अलवर। विषयः– रिश्वतखोर महिला सुपरवाईजर सैक्टर हसनपुर माफी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने। महोदय, निवेदन है कि मैं आंगनबाडी केन्द्र हसनपुर माफी फस्ट की कार्यकर्ता हूँ तथा उन्नती स्वयं सहायता समूह हसनपुर माफी फस्ट की सदस्य हूँ। मेरे द्वारा आंगनबाडी केन्द्र हसनपुर माफी फस्ट के लिए उक्त समूह से पोषाहार बनवाया गया था, जिसके करीब 4 लाख रू0 के बिल समूह को भुगतान करने के लिये पूर्व में कार्यरत महिला सुपरवाईजरों को दे दिया था तथा उस समय बजट नही होने से उक्त बिलों का भुगतान नही हुआ था। वर्ष 2023 में बजट आने पर मेरे आंगनबाडी केन्द्र की महिला सुपरवाईजर श्रीमती आरती ने उक्त बिलों का भुगतान करने हेतु मेरे से 30 प्रसेन्ट के हिसाब से रिश्वत की मांग की और उक्त बकाया बिलों में से 1,46,000 रू0 के बिलों का भुगतान हमारे उक्त समूह को दिया। मैंने श्रीमती आरती महिला सुपरवाईजर को उक्त राशि के भुगतान किये गये बिलों की एवज में 30 प्रसेन्ट के हिसाब से रिश्वत नही दी तो वह हमारे समूह के बाकी बिलों के भुगतान को रूकवाने की धमकी दे रही है तथा मेरी माह फरवरी व मार्च 2023 की तनखा भी नही बना रही है। मैं भ्रष्ट महिला सुपरवाईजर श्रीमती आरती, सैक्टर हसनपुर माफी को रिश्वत नही देना चाहती हूँ तथा उसे रिश्वत लेते हुये ए0सी0बी0 से रंगे हाथ पकडवाना चाहती हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादिया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादिया से दरियाफ्त की गई तो परिवादिया श्रीमती कमला देवी ने मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैं आंगनबाडी केन्द्र हसनपुर माफी फस्ट की कार्यकर्ता हूँ तथा उन्नती स्वयं सहायता समूह हसनपुर माफी फस्ट की सदस्य हूँ। मेरे द्वारा आंगनबाडी केन्द्र हसनपुर माफी फस्ट के लिए उक्त समूह से वर्ष 2017 से 2020 तक आंगनबाडी केन्द्र का पोषाहार बनवाया गया था, जिसके करीब 4 लाख रू0 के बिल समूह को भुगतान करने के लिये पूर्व में कार्यरत महिला सुपरवाईजरों को दे दिया था तथा उस समय बजट नही होने से उक्त बिलों का भुगतान नही हुआ था। वर्ष 2023 में बजट आने पर मेरे आंगनबाडी केन्द्र की महिला सुपरवाईजर श्रीमती आरती ने उक्त बिलों का भुगतान करने हेतु मेरे से 30 प्रसेन्ट के हिसाब से रिश्वत की मांग की और उक्त बकाया बिलों में से 1,46,000 रू0 के बिलों का भुगतान हमारे उक्त समूह को करवा दिया। मैंने श्रीमती आरती महिला सुपरवाईजर को उक्त राशि के भुगतान किये गये बिलों की एवज में 30 प्रसेन्ट के हिसाब से रिश्वत नही दी तो वह हमारे समूह के बाकी बिलों के भुगतान को रूकवाने की धमकी दे रही है तथा मेरी माह फरवरी व मार्च 2023 की तनखा भी नही बना रही है। मैं भ्रष्ट महिला सुपरवाईजर श्रीमती आरती, सैक्टर हसनपुर माफी को रिश्वत नही देना चाहती हूँ तथा उसे रिश्वत लेते हुये ए0सी0बी0 से रंगे हाथ पकडवाना चाहती हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। परिवादिया ने यह भी बताया कि मेरी श्रीमती आरती, महिला सुपरवाईजर, सैक्टर हसनपुर माफी, तहसील तिजारा, जिला अलवर से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन–देन भी बकाया नही है। परिवादिया ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं के द्वारा लिखा जाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा दौराने पूछताछ परिवादिया श्रीमती कमला देवी द्वारा अपनी पहचान स्वरूप पेश किये गये अपने आधार कार्ड की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति को बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया। दौराने पूछताछ परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन

का पाया जाने पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरों की निर्धारित प्रक्रियानुसार परिवादिया श्रीमती कमला देवी के साथ ब्यूरों के श्री महेश कुमार कानि0 462 एवं श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 को भिजवाकर जरिये विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्ड दिनांक 05.04.2023 एवं 06.04. 2023 को परिवादिया से आरोपित द्वारा मांगी जा रही रिश्वत का गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया। दिनांक 05.04.2023 एवं 06.04.2023 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं से आरोपिया श्रीमती आरती, महिला सुपरवाईजर, सैक्टर हसनपुर माफी, तहसील तिजारा, जिला अलवर व श्रीमती बीना, आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी केन्द्र संख्या 4 तिजारा, जिला अलवर द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादिया श्रीमती कमला देवी, आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी केन्द्र हसनपुर माफी प्रथम से उन्नती स्वयं सहायता समुह हसनपुर माफी प्रथम द्वारा परिवादिया के आंगनबाडी केन्द्र हसनपुर माफी को वर्ष 2017 से 2020 तक आपूर्ति किये गये पोषाहर करीब 4 लाख रू0 के बिलों का भुगतान करवाने की एवज में 30 प्रतिशत कमिशन के रूप में तथा परिवादिया का माह फरवरी व मार्च 2023 का वेतन बनवाने की एवज में रिश्वत की मांग करना तथा उक्त राशि के बकाया बिलों में से मार्च 2023 में उक्त स्वयं सहायता समुह को भुगतान करवाये गये दो बिल राशि 87000 रू0 व 59000 रू0 कुल राशि 1,46,000 रू0 के बिलों की एवज में दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 06.04.2023 को परिवादिया से 44,000 रू0 रिश्वत की मांग करना पाया जाने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही दो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष किया जाना प्रस्तावित की गई।

दिनांक 09.04.2023 को समय 09.00 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक को श्री महेश कुमार कानि0 462 ने अवगत करवाया कि आज उसकी परिवादिया से वार्ता हुई है तथा परिवादिया ने महेश कुमार कानि0 को बताया कि उसके पास संदिग्ध आरोपिया को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 26 हजार रू0 की ही व्यवस्था हुई है और वह अग्रिम कार्यवाही हेतु आज समय करीब 11.00 ए0एम0 तक अलवर ए0सी0बी0 कार्यालय में आयेगी। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने पूर्व से पाबन्दशुदा दोनों गवाहान सुश्री नेहा मीणा, कर सहायक एवं सुश्री प्रिया शर्मा, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग संभाग अलवर को ब्यूरों कार्यालय में तलब किया जाकर दोनों गवाहान को कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद समय 11.30 ए0एम0 पर परिवादिया श्रीमती कमला देवी, ए0सी0बी0 कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर परिवादिया श्रीमती कमला देवी ने रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों से मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाते हुए यह भी बताया कि दिनांक 06.04.2023 को उसे खेतीबाडी के जरूरी कार्य से घर जाना था तथा उसके पास आरोपितगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 44 हजार रू0 की व्यवस्था भी नही होने तथा उसे गॉव में जाकर रिश्वत की राशि 44 हजार रू0 की व्यवस्था करनी थी। इसलिए वह अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 06.04. 2023 को श्री महेश कुमार कानि0 462 एवं श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 के साथ ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर में उपस्थित नही हो सकी। परिवादिया ने यह भी बताया कि अभी तक उसके पास आरोपित को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 26 हजार रू0 की ही व्यवस्था हो पाई है, जो वह अपने साथ लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित हुई है। इस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में ही बैठाया गया। तत्पश्चात समय 11.50 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय में पूर्व से बैठी हुई स्वतन्त्र गवाह सुश्री नेहा मीणा, कर सहायक एवं श्रीमती प्रिया शर्मा, कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग संभाग, अलवर को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उक्त दोनों गवाहान का परिचय कार्यालय कक्ष में मौजूद परिवादिया श्रीमती कमला देवी से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादिया श्रीमती कमला देवी द्वारा दिनांक 05.04.2023 को मन पुलिस निरीक्षक को तिजारा में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादिया श्रीमती कमला देवी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 12.00 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक ने गवाह सुश्री नेहा मीणा एवं सुश्री प्रिया शर्मा कनिष्ठ सहायक एवं परिवादिया श्रीमती कमला देवी की उपस्थिति में परिवादिया श्रीमती कमला देवी व संदिग्ध आरोपिया बीना आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी केन्द्र नं0 4, तिजारा एवं श्रीमती आरती महिला सुपर वाईजर, सैक्टर हसनपुर माफी, तिजारा, जिला अलवर के मध्य दिनांक 05.04.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के कम में हुई रूबरू/मोबाईल वार्ता तथा परिवादिया श्रीमती कमला देवी के मोबाईल नं0 8824692795 से आरोपिया श्रीमती आरती के मोबाईल नं0 7240772700 पर परिवादिया श्रीमती कमला देवी एवं आरोपिया श्रीमती आरती के मध्य दिनांक 05.04.2023 को समय 12.14 पी0एम0 हुई मोबाईल वार्ता तथा परिवादिया श्रीमती कमला देवी एवं आरोपिया श्रीमती आरती महिला सुपरवाईजर, सैक्टर हसनपुर माफी, तहसील तिजारा, जिला अलवर के मध्य दिनांक 06. 03.2023 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा उक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त

वार्ताओं में दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में परिवादिया श्रीमती कमला देवी ने अपनी स्वयं की आवाज की एवं आरोपिया श्रीमती आरती महिला सुपरवाईजर, सैक्टर हसनपुर माफी, तहसील तिजारा, जिला अलवर की आवाज की तथा बीना, आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी केन्द्र नं0 4, तिजारा की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी वार्तालाप रूपान्तरण की संबंधित वॉईस क्लिपों से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादिया ने सही होना स्वीकार किया। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क **"ए–1"**, मार्क **"ए–2"** एवं मार्क **"ए–3"** अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादिया श्रीमती कमला देवी के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क **"ए–1"** व मार्क **"ए–2"** को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क **"ए–1"** व मार्क **"ए–2"** अंकित कर गवाहान एवं परिवादिया के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क **"ए–3"** को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस. डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 32 GB** के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 05.04.2023 को परिवादिया व आरोपिया के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू/मोबाईल वार्ताऐं तथा परिवादिया के मोबाईल 8824692795 से आरोपिया श्रीमती आरती के मोबाईल नं0 7240772700 पर परिवादिया श्रीमती कमला एवं आरोपिया श्रीमती आरती के मध्य हुई मोबाईल वार्ता रिकार्ड की हुई है तथा फोल्डर नं0 2 में दिनांक 06.04.2023 को परिवादिया श्रीमती कमला देवी व आरोपिया श्रीमती आरती महिला सुपरवाईजर, सैक्टर हसनपुर माफी, तहसील तिजारा, जिला अलवर के मध्य रिश्वत रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ता रिकॉर्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 32 GB** को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 32 GB** के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 09.04.2023 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात सिल्डशुदा सीडी मार्क ए–1 व ए–2 एवं एसडी कार्ड मार्क S को पृथक से जमा मालखाना करवाने हेतु अपने कब्जे की कार्यालय आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया। इसके बाद समय 07.00 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादिया श्रीमती कमला देवी को प्रकरण की गोपनीयता बनाये रखने एवं संदिग्ध आरोपिया श्रीमती आरती, महिला सुपरवाईजर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 44 हजार रू0 अपने साथ लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10.04.2023 को प्रातः 07.00 ए0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय अलवर में उपस्थित होने की हिदायत दी गई तो परिवादिया श्रीमती कमला देवी ने बताया कि उसको दिनांक 10.04.2023 को सुबह 07.00 बजे आंगनबाडी केन्द्र खोलना है तथा उसके बाद समय 10.00 ए0एम0 पर श्रीमान एस0डी0एम0 तिजारा की मीटिंग में शामिल होना है। इसलिए मैं दिनांक 10.04.2023 को समय 07.00 ए0एम0 पर अलवर ए0सी0बी0 के कार्यालय में उपस्थित नही हो सकती और मेरे पास आरोपिया को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 26 हजार रू0 की ही व्यवस्था हुई है, इससे अधिक राशि की मेरे से व्यवस्था नही हो पा रही है तथा 26 हजार रू0 मेरे पास है। दिनांक 10.04.2023 को सुबह आप अपनी टीम के साथ तिजारा आ जाना मैं आपको तिजारा में अहिंसा सर्किल के पास मिल जाउंगी। इस पर परिवादिया को दिनांक 10.04.2023 को रिश्वत राशि 26 हजार रू0 सहित समय करीब 10.00 ए0एम0 पर तिजारा में अहिंसा सर्किल के पास मिलने एवं गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 07.15 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक ने गवाहान सुश्री नेहा मीणा कर सहायक एवं सुश्री प्रिया शर्मा, कनिष्ठ सहायक को गोपनीयता एवं दिनांक 10.04.2023 को समय 07.30 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया।

इसके बाद दिनांक 10.04.2023 को समय 07.30 ए0एम0 पर पाबन्दशुदा गवाह सुश्री नेहा मीणा, कर सहायक एवं सुश्री प्रिया शर्मा, कनिष्ठ सहायक, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आई तथा इसी दौरान ए0सी0बी0 चौकी अलवर द्वितीय अलवर से तलबशुदा श्री रामजीत कानि0 206 कार्यालय में उपस्थित आये। दोनों गवाहान एवं आमदा स्टाफ को कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात समय 07.50 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय स्वतन्त्र गवाह सुश्री नेहा मीणा, कर सहायक, सुश्री प्रिया शर्मा, कनिष्ठ सहायक मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री, साहिब सिंह, सहायक उप निरीक्षक, नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, रामजीत कानि0 206, श्री हरीश चन्द कानि0 503, श्री महेश कुमार कानि0 462 व श्रीमती सुनिता

महिला कानि0 201 मय विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर, ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर, यू0पी0एस0 तथा श्री रामसिंह कानि0 549 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर उसे श्री रामसिंह कानि0 के कैरी बैग में रखवाकर कैरी बैग सहित श्री रामसिंह कानि0 को भी हमराह लेकर मय कानि0 चालक श्री इन्द्रजीत के एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब तिजारा के लिये एक प्राईवेट वाहन व एक सरकारी वाहन बोलेरों में बैठाकर रवाना होकर समय 10.00 ए0एम0 पर कस्बा तिजारा स्थित अहिंसा सर्किस तिजारा पर पहुंचा, जहाँ पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादिया श्रीमती कमला देवी मौजूद मिली। परिवादिया श्रीमती कमला देवी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि "मैंने अभी सुबह आरती मैडम के कार्यालय में जाकर मालूम किया तो आरोपिया श्रीमती आरती महिला सुपरवाईजर आज कार्यालय में एवं एसडीएम साहब की मिटिंग में नही आयेगी। कार्यालय में बताया कि आरती मैडम तीन–चार दिन छुट्टी पर रहेगी। इसलिए आरती मैडम के आज तिजारा नही आने के कारण ट्रैप कार्यवाही नही हो सकती और अब मुझे भी एसडीएम साहब की मिटिंग में जाना है।" परिवादिया द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के अनुसार तत्समय आरोपिया के विरूद्ध अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न नही होने से परिवादिया को हिदायत दी गई कि आरोपिया श्रीमती आरती महिला सुपरवाईजर जब भी अपने कार्यालय में डयूटी पर उपस्थित होवे तो उसकी जानकारी कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि सहित अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होवें। तत्पश्चात समय 10.30 ए0एम0 पर परिवादिया श्रीमती कमला देवी को मौका अहिंसा सर्किल तिजारा से रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के दोनों वाहनों से मौके से ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर के लिये रवाना होकर समय 01.00 पी0एम0 पर उपस्थित ब्यूरों कार्यालय अलवर आया। ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर, यू0पी0एस0 को कार्यालय में रखवाया गया एवं विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को अपने कब्जे की कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया तथा फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को श्री रामसिंह कानि0 के कैरी बैग से निकलवाकर कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान को गोपनीयता एवं जब भी कार्यवाही हेतु आवश्यकता होने पर जरिये मोबाईल अवगत करवाने पर अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रवाना किया गया। साथ ही श्री रामजीत कानि0 206 को मुनासिब हीदायत देकर जाय तैनाती रवाना किया गया।

दिनांक 26.06.2023 को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती कमला देवी से मोबाईल पर वार्ता की गई तो श्रीमती कमला देवी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं आरोपिया श्रीमती आरती सुपरवाईजर से मिलने के लिये तिजारा उसके कार्यालय में दो–तीन बार गई तो आरती मैडम मेरे से बात नही करती है तथा मेरे से कहा कि अब मैं आपसे पैसे की कोई बात नही करूंगी मुझे तेरे पर शक हो रहा और उसने सभी को मना कर दिया कि इस कमला से कोई भी पैसे की बात मत करना तथा इससे कोई पैसे भी मत ले लेना। परिवादिया द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के अनुसार आरोपिया श्रीमती आरती महिला सुपरवाईजर को परिवादिया द्वारा ए0सी0बी0 में करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही का शक हो गया है। इसलिए वह अब परिवादिया से अपनी रिश्वत मांग के अनुरूप रिश्वत प्राप्त नही करेगी। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादिया को ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित होने हेतु कहा गया तो परिवादिया ने बताया कि वह घर पर अकेली ही है तथा उसका लडका भी बाहर रहता है। उसके लडके को घर आते ही वह अपने लडके को साथ लेकर ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर आ जायेगी।

इसके बाद दिनांक 10.07.2023 को समय 02.30 पी0एम0 पर परिवादिया श्रीमती कमला देवी मय अपने पुत्र श्री जोगेन्द्र लवानिया के ए0सी0बी0 कार्यालय में उपस्थित आयी। परिवादिया श्रीमती कमला देवी ने मन पुलिस निरीक्षक को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए0सी0बी0 अलवर को सम्बोधित एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि मैंने दिनांक 05.04.2023 को तिजारा में आपको श्रीमती आरती महिला सुपरवाईजर सैक्टर हसनपुर माफी को मेरे से रिश्वत लेते हुए पकडवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा आप द्वारा मेरे से श्रीमती आरती सुपरवाईजर का रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया गया था। मेरे द्वारा आरती महिला सुपरवाईजर के खिलाफ ए0सी0बी0 में करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही का उसको शक हो गया है। इसलिए उसने मेरी तनखा बना दी है और वह मेरे से अब रिश्वत लेने के लिये कोई बात नही कर रही है तथा उसको शक होने के बाद वह काफी दिन तक अपने ऑफिस में व आज तक मेरे आंगनबाडी केन्द्र पर नही आयी है। अब वह मेरे से रिश्वत नही प्राप्त करेगी। इसलिए आप मेरे द्वारा अब तक करवाई गई कार्यवाही पर ही श्रीमती आरती महिला सुपरवाईजर सैक्टर हसनपुर माफी, तहसील तिजारा, जिला अलवर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। परिवादिया ने यह भी बताया कि वह अपने घर पर अकेली होने से तथा घरेलू कार्य व आंगनबाडी के काम में व्यस्त होने के कारण, वह ब्यूरों कार्यालय में नही आ सकी तथा वह आज अपने लडके को साथ लेकर ब्यूरों कार्यलय अलवर में उपस्थित हुई है तथा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमती आरती सुपरवाईजर के खिलाफ सख्त कानूनी

कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया है। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर बाद अवलोकन परिवादिया के पुत्र श्री जोगेन्द्र लवानिया के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थना पत्र संलग्न पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 03.15 पी0एम0 पर परिवादिया श्रीमती कमला देवी एवं परिवादिया के पुत्र श्री जोगेन्द्र को आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक ने दौराने कार्यवाही सिल्डशुदा सीडी मार्क ए–1 व ए–2 एवं सिल्डशुदा एसडी कार्ड मार्क S को अपने कब्जे की कार्यालय आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर सुरक्षित हालात में मालखाना प्रभारी श्री भौरे लाल हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया।

उक्तानुसार सम्पन की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपिया श्रीमती आरती, महिला सुपरवाईजर, सैक्टर हसनपुर माफी, तहसील तिजारा, जिला अलवर व श्रीमती बीना, आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी केन्द्र संख्या 4 तिजारा, जिला अलवर द्वारा आपसी मिलीभगत कर षढयंत्र पूर्वक, परिवादिया श्रीमती कमला देवी, आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी केन्द्र हसनपुर माफी प्रथम से उन्नती स्वयं सहायता समुह हसनपुर माफी प्रथम द्वारा परिवादिया के आंगनबाडी केन्द्र हसनपुर माफी को वर्ष 2017 से 2020 तक आपूर्ति किये गये पोषाहर करीब 4 लाख रू0 के बिलों का भुगतान करवाने की एवज में 30 प्रतिशत कमिशन के रूप में तथा परिवादिया का माह फरवरी व मार्च 2023 का वेतन बनवाने की एवज में रिश्वत की मांग करना तथा उक्त राशि के बकाया बिलों में से मार्च 2023 में उक्त स्वयं सहायता समूह को भुगतान करवाये गये दो बिल राशि 87000 रू0 व 59000 रू0 कुल राशि 1,46,000 रू0 के बिलों की एवज में दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 06.04.2023 को परिवादिया से 44,000 रू0 रिश्वत की मांग करना एवं उक्त रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए सहमत होकर रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होने का श्रीमती आरती महिला पर्यवेक्षक, सैक्टर हसनपुर माफी, तहत कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, तिजारा, जिला अलवर, हाल जिला खैरथल–तिजारा एवं श्रीमती बीना, आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी केन्द्र संख्या 4 तिजारा, तहत कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, तिजारा, जिला अलवर, हाल जिला खैरथल–तिजारा का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) व 120बी भा0द0सं0 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है।

अतः आरोपिया श्रीमती आरती महिला पर्यवेक्षक, सैक्टर हसनपुर माफी, तहत कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, तिजारा, जिला अलवर, हाल जिला खैरथल–तिजारा एवं श्रीमती बीना, आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी केन्द्र संख्या 4 तिजारा, तहत कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, तिजारा, जिला अलवर, हाल जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

(प्रेम चन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.सं. में आरोपिया श्रीमती आरती पुत्री श्री रामकिशोर, महिला पर्यवेक्षक,सेक्टर हसनपुरा माफी, समेकित बाल विकास सेवांए, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा एवं श्रीमती बीना पुत्री श्री प्रेमचंद हाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आगंनबाड़ी केन्द्र संख्या -4, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 274/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2939-2942 दिनांक 16.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवांए राजस्थान, जयपुर।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, तिजारा।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।